

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची (लिपिक संवर्ग)-2024-25//

6192

//राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 24 मार्च, 2025

**समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)**

**राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

अवगत कराना है कि मुख्यालय के पत्र संख्या-5112 दिनांक 17-01-2025 द्वारा विभाग में दिनांक-01-07-2021 से 31-12-2024 तक मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को लिपिक वर्गीय ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे । जो कि अभी तक कतिपय कार्यालयों से ही प्राप्त हुई है अधिकांश कार्यालयों द्वारा वॉछित सूचना अभी तक मुख्यालय उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने सम्भाग में दिनांक 01-07-2021 से 31-12-2024 तक मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में यथाशीघ्र मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।



(सुनील कुमार वर्मा)


अपर आयुक्त (प्रशासन)राज्य कर,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

**पृष्ठांकन-संख्या व दिनांक उक्त ।**

**प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 4- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर उत्तर प्रदेश ।



(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,

मुख्यालय लखनऊ ।